

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

85 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

23.09.2022

14.12.2022

डॉ मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....आवेदक

बनाम

1—श्री बसन्त कुमार जैन पुत्र श्री शान्तिनाथ जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स बसन्त कुमार सुगन चन्द
जैन मेन मार्केट बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 5 जैन मन्दिर के पास
बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी श्री बसन्त कुमार जैन स्वयं।

:-निर्णय:-

दिनांक 14.12.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.03.2022 को समय 12:09 पी.एम. पर मैसर्स बसन्त कुमार सुगन चन्द जैन मेन मार्केट बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री बसन्त कुमार जैन पुत्र श्री शान्तिनाथ जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बसन्त कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स बसन्त कुमार सुगन चन्द जैन मेन मार्केट बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ घी खुला (Ghee Loose) एल्यूमिनियम की केन में लगभग 3-4 किलोग्राम रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री बसन्त कुमार जैन को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बसन्त कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह घी खुला (Ghee Loose) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 800 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी खुला (Ghee Loose) 800 ग्राम को प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में 200-200 ग्राम भरकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी



तरह एयरटाईट बन्द कर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह विपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3164 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से विपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3164 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से विपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1036 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0 एस0/1620/एक्ट/2022/1631 दिनांक 28.04.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्य किया गया **घी खुला (Ghee Loose)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(ii)(zz)(iv) & 3(1)(zz)(xi) का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe)** व **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

श्री बसन्त कुमार जैन ने उक्त जांच रिपोर्ट के विरुद्ध समयावधि में धारा 46 (4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया। निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए./589 एफ/2022 दिनांक 22.08.2022 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमनाक (Sub-Standard)** पाया गया जो अन्तिम रूप से मान्य हैं जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री बसन्त कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी खुला (Ghee Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-**



Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी खुला (Ghee Loose) का नमूना जांच में अवमनाक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)
न्याय विधि अधिकारी जस्टिस
अतिरिक्त जिला टोंक जस्ट्रेट
टोंक-राज0